

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में
दिनांक 23.04.2026 को
अपरान्ह 02:30 बजे नारकोटिक्स
(NCORD) से संबंधित बैठक

चर्चा के मुख्य बिन्दु

क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, क्षेत्राधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जनपद सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर मुखबिरी तंत्र विकसित करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्रवर्तन मूलक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में –

व्यापार कर सम्भल, केन्द्रीय माल और सेवाकर, सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग सम्भल रोड चैकिंग के दौरान विशेषकर राज्यीय/अन्तर्राज्यीय गांजे/मादक पदार्थों की तस्करी कर जनपद में दाखिल होने वाले मुख्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनो की सघन जाँच किये जाने के सम्बन्ध में –

चिकित्सा विभाग एवं औषधि प्रशासन– कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या– ड्रग /8322/ लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। समस्त दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स दवाई न दिये जाने एवं प्रिस्क्रिप्शन पर भी एक सप्ताह से अधिक की दवाई न दिये जाने एवं ग्राहक की प्रिस्क्रिप्शन व आई0डी0 लेकर मनःप्रभावी औषधि की बिक्री करने हेतु निर्देशित किया जाये। थोक एवं फुटकर विक्रयकर्ता मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस, आबकारी एवं औषधि प्रशासन विभाग सतत निगरानी रखने तथा मनःप्रभावी औषधि यथा कोडीन (**Codeine**), ऐल्प्रक्स (**alprax**) आदि की चैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में –

वन विभाग एवं कृषि विभाग नारकोटिक्स पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने, जिले में अफीम या भांग की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में –

जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग एक युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत जनपद में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच ड्रग्स एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में प्रत्येक विद्यालय में एक “युद्ध नशे के विरुद्ध” विषय पर निबन्ध, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक शनिवार को तथा प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर बच्चों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रतिज्ञा दिलाते हुए उक्त के सेवन से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

समाज कल्याण– प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा **COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act.)** अधिनियम लागू कराया गया है एवं सहायता हेतु टोल फ्री नं. जारी किया गया है तथा “प्रहरी” नाम से वालंटियर ग्रुप बनाया गया है। शासनादेश में राज्य विश्वविद्यालय /डिग्री कालेज के 100 मीटर की सीमा में कोई तम्बाकू की दुकान न हो। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने तथा सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करने एवं शिक्षक वर्ग को भी सभी प्रकार के नशे की मूलभूत जानकारी देकर प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल–किसी भी स्कूल/कालेज के पास 100 मी0 के दायरे में तम्बाकू को प्रतिबन्धित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबन्धित मादक पदार्थों का विक्रय एवं सेवन न हो सके, इस हेतु सघन जांच, निरीक्षण एवं आकस्मिक चैकिंग करायी जाये।

बिन्दु संख्या-1

मादक पदार्थों की तस्करी के सम्बन्ध में समस्त उपस्थित सदस्यगणों से व्यापक विचार-विमर्श किया गया जनपद सम्मेलन में अवैध मादक पदार्थों का अभियोग न पकड़े जाने पर नारागी व्यक्त की गयी एवं निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर, सघनता से रोड चैकिंग करना सुनिश्चित करें। अवैध मादक पदार्थों के सम्बन्ध में प्रभावी मुखबिरी तन्त्र विकसित करते हुए प्राप्त सूचना से पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग को तुरन्त अवगत कराये, जिससे तत्काल नारकोटिक्स ड्रग्स/मादक पदार्थों आदि की तस्करी में संलिप्त सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही पुलिस विभाग/आबकारी विभाग/औषधिक निरीक्षक/राज्य व्यापार (GST))

अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या-1

माह मार्च 2026 तक नारकोटिक्स ड्रग्स/मादक पदार्थों का कोई प्रकरण नहीं पकड़ा गया।

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.-1

राज्य व्यापार कर विभाग

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर, सचल दल चतुर्थ इकाई मुरादाबाद द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दिनांक 21.04.2026 में अवगत कराया कि इस इकाई द्वारा माह मार्च 2026 में 1207 वाहनों की जाँच की गयी । जाँच में 18 वाहन दोषी पाये गये, जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए अभिग्रहित मूल्य रू0 25.53 लाख के सापेक्ष रू0 20.56 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया। उक्त वाहनो में से कोई भी वाहन मादक पदार्थ से सम्बन्धित नहीं था और न ही कोई जाँच के समय पाया गया भविष्य में यदि कोई मादक पदार्थ से सम्बन्धित वाहन जाँच के समय पाया जाता है, तो तत्काल सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित कर दी जायेगी ।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकड़े गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	1207	0

GST Department




बिन्दु संख्या-1 की अनुपालन आख्या आबकारी विभाग

आबकारी विभाग के क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद सम्मेल के राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों की चैकिंग गयी। अवैध मदिरा की तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही एवं रोड चैकिंग की गयी, जिसमे अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री नहीं पायी गयी। माह मार्च 2026 में उक्त कार्यवाही के दौरान 572 स्थानों पर छापे मारे गये तथा 81 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसमें 4907.00 ब.ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी। उक्त कार्यवाही में भी कोई अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	42	0



Excise Department



Akroli, Uttar Pradesh, India
Gqmj+95g, Akroli, Uttar Pradesh 244411, India
Lat 28.533896° Long 78.780365°
Tuesday, 14/04/2026 12:56 PM GMT +05:30



Akroli, Uttar Pradesh, India
Gqmj+95g, Akroli, Uttar Pradesh 244411, India
Lat 28.53382° Long 78.780204°
Tuesday, 14/04/2026 12:55 PM GMT +05:30

बिन्दु सं०-२

(क) जनपद में स्थित दवाइयों की दुकानों पर मनःप्रभावी औषधि एवं प्रतिबन्धित कफ सिरप की जाँच की जाये। यदि किसी दवाई की दुकान पर अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि पायी जाये तो अनाधिकृत मनः प्रभावी औषधि एवं प्रतिबन्धित कफ सिरप रखने व बिक्री करने वालो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। सभी दवा की दुकानों, चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टोल फ्री नं. 1933 के पोस्टर लगवाये जाये।

क.सं.	जाँच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालो के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

(ख) चिकित्सक द्वारा मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन में दिये जाने वाले मनःप्रभावी औषधि अधिकतम एक सप्ताह की लिखी जाये तथा मेडिकल स्टोर्स द्वारा ग्राहक से प्रिस्क्रिप्शन आई.डी. लेकर ही मनःप्रभावी औषधि की बिक्री की जाये तथा निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाये।

क.सं.	अस्पताल/अन्य डॉक्टर की संख्या	जाँच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/औषधि निरीक्षक)

अनुपालन आख्या बिन्दु सं०-२

औषधि निरीक्षक, जनपद सम्भल द्वारा अपने पत्रांक एफएसडीए/ औनि/2025-26/08 दिनांक 22.04.2026 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जाँच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनः प्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जाये।

जनपद के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को व्हाट्सएप ग्रुप एवं व्यक्तिगत रूप से बैठक कर मनः प्रभावी औषधि का विक्रय नियमानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त 'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' एवं 'केवल प्रेस्क्रिप्शन पर दवाईयां' के बैनर प्रतिष्ठानों पर लगाकर नशीले पदार्थों की बिक्री पर निरन्तर रोकथाम की जा रही है। सम्भल जनपद में निरन्तर सघन निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु निर्देशित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के प्रति जागरूकता के अन्तर्गत जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संदेश के बैनर/पोस्टर मेडिकल स्टोर्स पर लगवाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। आम जनमानस को इस अभियान के प्रति जागरूक करते हुए अभियान में सहयोग करने की अपील की गयी।

मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जा रही है। क्रय/विक्रय बिल में कमी पाये जाने की दशा में निरीक्षण करते हुये औषधियों के क्रय/विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जा रही है।

क.सं.	जाँच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालो के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
1	06	विगत माह में किये गये निरीक्षणों में 06 फर्मों को कारण बताओं नोटिस , 02 फर्मों का निलम्बन व 01 लाइसेंस निरस्त करते हुए 03 फर्मों को चेतावनी आदेश सहायक आयुक्त (औषधि) मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा निर्गत किये गये।

अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या-2 (ख)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद सम्मल।

पत्रांक: सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2026-27/५।

दिनांक ०७/०५/२०२६

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला संयुक्त चिकित्सालय सम्मल
जनपद सम्मल।
2. समस्त चिकित्सा अधीक्षक
रामपुरवा.केन्द्र जनपद सम्मल।

विषय:- नारकोटिक्स औषधियों के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय सम्मल के पत्रांक 288/11-55/आबकारी/सम्मल/कार्यवृत्त, दिनांक 31 मार्च 2026 के क्रम में दिनांक 18.03.2026 को आयोजित स्वापक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में नीति विषयक मामलो में सुधार के मकैनैज्म को विकसित किये जाने हेतु मासिक बैठक के कार्यवृत्त में कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या डूग/8322/लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। चिकित्सको द्वारा मरीजों को दिये जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन में अधिकतम एक सप्ताह की दवाई लिखी जाए एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टोल फ्री नं. 1933 के पोस्टर लगवाये जाये।

उक्त का कड़ाई से पालन किया जाए।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्मल।

पत्रांक: सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2026-27/

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्मल।
2. जिला आबकारी अधिकारी, जनपद सम्मल।
3. जिला औषधि निरीक्षक, जनपद सम्मल।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्मल।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद सम्मल।

पत्रांक: सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2026-27/५४

दिनांक ०७/०५/२०२६

अध्यक्ष,
आई०एम०ए० सम्मल एवं चन्दौरी
जनपद सम्मल।

विषय:- नारकोटिक्स औषधियों के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय सम्मल के पत्रांक 288/11-55/आबकारी/सम्मल/कार्यवृत्त, दिनांक 31 मार्च 2026 के क्रम में दिनांक 18.03.2026 को आयोजित स्वापक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में नीति विषयक मामलो में सुधार के मकैनैज्म को विकसित किये जाने हेतु मासिक बैठक के कार्यवृत्त में कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या डूग/8322/लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। चिकित्सको द्वारा मरीजों को दिये जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन में अधिकतम एक सप्ताह की दवाई लिखी जाए एवं दवा की दुकानों और चिकित्सालयों पर टोल फ्री नं. 1933 के पोस्टर लगवाये जाये।

उक्त का कड़ाई से पालन किया जाए।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्मल।

पत्रांक: सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2026-27/

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्मल।
2. जिला आबकारी अधिकारी, जनपद सम्मल।
3. जिला औषधि निरीक्षक, जनपद सम्मल।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्मल।

बिन्दु सं०-३

सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाएँ यथा गायत्री परिवार, ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" का प्रचार-प्रसार किया जाय। सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों/कालेज/ मेडिकल कालेज /महाविद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नशा मुक्ति का प्रचार-प्रसार एवं शपथ समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध जागरूक करेंगे। सभी सम्बन्धित विभाग आयोजित कार्यक्रमों की फोटो आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग
बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल/आबकारी विभाग/गायत्री परिवार/ब्रह्मकुमारी संस्था)

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	माह मार्च 2026 में आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल		
2	इन्टरमिडिएट		
3	डिग्री कालेज		
4	अन्य		
	योग		

बिन्दु संख्या-3 अनुपालन आख्या

समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी सम्मल, गायत्री परिवार एवं ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	माह मार्च 2026 में आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल	1306	159803
2	इन्टरमिडिएट	22	6627
3	डिग्री कालेज	06	150
4	अन्य	05	1250
	योग	1339	167830

अनुपालन आख्या-3 (प्रजापिता ब्रह्मकुमारी)

प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा मऊ कटेहर, ग्राम इसमपुर एवं ग्राम पूरा में नशामुक्ति की प्रदशिनी लगाई गयी एवं ग्रामीणों को नशे के बारे में समझाया गया। उक्त प्रोग्रामों में लगभग 600 लोगो को नशे के प्रति जागरूक किया गया।



अनुपालन आख्या-3 (प्रजापिता ब्रह्मकुमारी)



गायत्री परिवार

दिनांक 20.03.2026 में गायत्री परिवार द्वारा पी.एम. श्री स्कूल, रिरिया रुद्र गुन्नौर सम्भल में नशा मुक्ति अभियान चलाना गया जिसमें लगभग 250 छात्र/छात्राओं ने भाग लिया।

दिनांक 15.03.2026 में ग्राम धनारी में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गयी उक्त कार्यक्रम में लगभग 400 लोगो को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया गया।



बिन्दु संख्या-4

COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act.) अधिनियम के तहत शत प्रतिशत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाये गये प्रत्येक "बाल संसद" एवं "प्रहरी क्लब" द्वारा अपने स्कूल/कालेज में "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" आयोजित कार्यक्रमों में किये गये कार्यों का विवरण फोटो सहित प्रस्तुत किया जाय। माह में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार प्रारूप में उपलब्ध कराये-

क्र.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	माह फरवरी 2026 में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद			
2	प्रहरी क्लब			
	योग			

मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल को निर्देशित किया गया है कि COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act.) अधिनियम के तहत सम्बन्धित गठित समीति द्वारा एक अभियान चला कर कलेक्ट्रेट परिसर में पान, बीडी, सिग्रेट व अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही कर अर्थदण्ड जमा कराया जाये। आगमी बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक
/बेसिक शिक्षा अधिकारी, /मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल)


बिन्दु सख्या-4 की अनुपालन आख्या

COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act.) अधिनियम के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्भल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	माह मार्च 2026 में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों में प्रतिभाग/ शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद	1289	1289	156068
2	प्रहरी क्लब	1295	1295	156068
	योग	2584	2584	312136




GPS Map Camera

Jianagla, Uttar Pradesh, India 

8f37+79m, Bhakrouli, Jianagla, Uttar Pradesh
243751, India

Lat 28.303548° Long 78.463543°

Tuesday, 21/04/2026 12:40 PM GMT +05:30






GPS Map Camera



Sambhal, Uttar Pradesh, India 
Hhmc+2hc, Tahsil Road, Sambhal, Uttar Pradesh
244302, India
Lat 28.58254° Long 78.571185°
Monday, 13/04/2026 07:41 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Ashlatnagar Jarai, Uttar Pradesh, India 
Fq2m+67c, Moradabad - Chandausi Rd, Jatt Colany, Ashlatnagar
Jarai, Uttar Pradesh 244412, India
Lat 28.45053° Long 78.783052°
Friday, 17/04/2026 08:02 AM GMT +05:30

बिन्दु संख्या-4 की अनुपालन आख्या


प्रेषक,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद सम्मल।
सेवा में,
जिला आबकारी अधिकारी,
जनपद सम्मल।

पत्रांक-सी.एम.ओ./COTPA Act/तम्बाकू/कार्यवाही/2026-27/62 दिनांक: 07/04/2026
विषय-COTPA Act के अन्तर्गत तम्बाकू कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,


जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में नारकोटिक्स की आयेजित बैठक दिनांक 18.03.2026 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा (COTPA Act) के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में पान, बीड़ी, सिगरेट व अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही कर अर्थदण्ड बसूलने हेतु निर्देश प्रदान किए गए।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में आपको अवगत कराना है कि पूर्व में इस कार्य हेतु एक टीम गठित की गयी थी उसको पुनः जिला कलेक्ट्रेट परिसर बहजोई में बीड़ी, सिगरेट एवं तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर छापा मारने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद सम्मल।

पत्रांक-सी.एम.ओ./COYPA Act/तम्बाकू/कार्यवाही/2026-27/ तददिनांक:
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्मल।
02. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन.एच.एम. जनपद सम्मल।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद सम्मल।

बिन्दु सं.-5

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जाये। डी.पी.एम.यू. सम्मेलन से एक प्रतिनिधि बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी डी.पी.एम.यू. द्वारा NCPDR द्वारा पुरस्कार दिये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार किये जाये।

(कार्यवाही औषधि निरीक्षक/प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्मेलन/ जिला आबकारी अधिकारी सम्मेलन)

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.-5

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्मेलन को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्मेलन द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

“एक युद्ध नशे के विरुद्ध”
“नशा मुक्त भारत अभियान”
“नशे को ना जीवन को हॉँ”

NCORD